(रजि० नं० 1825)

# फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रैफरन्स नं० .............. दिनांक : ................

दिनांक 28.11.2006
स्थान गुडगांव

सेवा में,

श्रीमान उपायुक्त महोदय,

गुडगांव।

विषयः मैं फैशन एक्सप्रैस प्लाट न.—100 उधोग विहार, फेस—1, गुडगांव के प्रबन्धकों का दमनचक्र जारीः चार यूनियन पदाधिकारियों की अचानक व अप्रत्यासित रूप से बिना कोई कानूनी प्रकिया अपनाए सेवा समाप्ति।

आदरणीय श्रीमान जी,

प्रार्थी यूनियन सादर निवेदन करती हैः—

1. यह कि उपरोक्त संस्थान के प्रबन्धक पिछले लम्बें समय से तमाम कानूनी प्रक्रियाओं व नियमों को ताक पर रखकर संस्थान में कार्यरत श्रमिको के विरूद्व दमन चक्र चलाए हुए है। इसी दमनचक्र के अर्न्तगत प्रबन्धकों ने दिनांक 24.11.2006 को अचानक एवं अप्रतयासित कदम उठाकर चार यूनियन लीडरों सर्व श्री सतबीर सिंह प्रधान बाबू लाल, आनन्द कुमार व श्यामदत को बिना किसी कानूनी प्रकिया का पालन किये नौकरी से निकाल दिया है।

2. यह कि उपरोक्त संस्थान में लगभग 325 के करीब पुरूष तथा महिला श्रमिक पिछले 10—15 सालों से कार्यरत है — जिनमें से

लगभग 180 श्रमिक कम्पनी के रिकार्ड में दर्ज है बाकि श्रमिकों का नाम रिकार्ड में दर्ज ना है यानि 145 के लगभग श्रमिक पर कोई श्रमकानून लागू ना है।

3. यह कि उपरोक्त संस्थान के प्रबन्धकों द्वारा श्रमिकों को इस हद तंग किया जा रहा है कि वो त्याग पत्र देकर अपना हिसाब ले ले ताकि प्रबन्धक पूरी संस्थान को ठेका प्रणाली के माध्यम से चला सके। प्रबन्धकों द्वारा श्रमिको के विरूद्व अपनाई गई श्रम विरोधी गतिविधियों की कुछ मिशाले इस प्रकार है:–

4. संस्थान में कार्यरत महिला श्रमिकों के साथ अशलील हरकतें तथा अभद्र व्यवहार करना–जिसके विरूद्व दो महिला श्रमिकों ने पुलिस में भी शिकायत की परन्तु पुलिस द्वारा प्रभावशाली मालिको के विरूद्व कोई कार्यवाही ना किए जाने के कारण उन्हें न्यायालय का सहारा लेना पडा। माननीय न्यायालय ने महिला श्रमिको की बातों व दलीलो को सुनकर संस्थान के मालिक तेजप्रताप ममिक व गौरव ममिक के विरूद्व सम्मन जारी किए तथा दिनांक 22.11.2006 को जमानत की अर्जी की सुनवाई के दौरान उन्हें 1 दिन कि न्यायिक हिरासत में भेजा और क्योंकि दिनांक 22.11.2006 को यूनियन पदाधिकारी महिला श्रमिको की सहायता के लिए उनके साथ अदालत में आए थे– इसलिए संस्थान मलिको ने बदले की भावना से उन्हें 24.11.

(रजि० नं० 1825)

# फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं० .............. दिनांक : ................

2006 को सेवा समाप्ति आदेश देकर उनकी सेवाएं बिना कोई कानूनी प्रक्रिया अपनाए समाप्त कर दी।

- यह कि संस्थान मालिक कम्पनी अधिकारियों व गुण्डों की सहायता से महिला श्रमिक बीना देवी क घर जाकर व कम्पनी में अपने आफिस बुलाकर लगातार अपना इस्तगासा वापिस लेने के लिए तथा अपना हिसाब लेने के लिए दबाव डाल रहे है तथा गवाह सोमवती व रविन्द्र को लगातार प्रताडित कर रहे है तथा किसी भी पल उनकी नौकरी समाप्त की जा सकती है– जिसके कारण संस्थान मे कार्यरत श्रमिको में भय तथा आंतक का माहौल व्याप्त है।
- यह कि प्रबन्धकों ने पिछले दो वर्षो से सभी श्रमिकों की वेतन बढौतरी रोकी हुई है।
- प्रबन्धकों ने पिछले कई साल से चली आ रही 20 प्रतिशत बोनस की रवायत तोडकर वर्ष 2004–2005 का दिपावली बोनस/ EXGratia अभी तक श्रमिकों को नही दिया है तथा वर्ष 2005–2006 का बोनस EXGratia भी यूनियन के सदस्यो को नहीं दिया है बाकि श्रमिकों को भी केवल 8.33 प्रतिशत बोनस ही दिया गया हैं।
- यह कि प्रबन्धकों ने कार्यस्थल पर मौजूद स्टूलों को, जिन पर बैठकर श्रमिक कार्य करते थे, छिन लिया है– जिसके कारण

(रजि० नं० 1825)

# फैशन एक्सप्रैस कर्मचारी संगठन

पता : कमरा नं० 5, गौशाला मार्किट, नजदीक बस स्टैन्ड गुड़गांव, (हरियाणा), दूरभाष : 2309656

रेफरन्स नं० .............. दिनांक : ................

संस्थान की दो महिला श्रीमति देवा देवी श्रीमति ऊषा देवी Expire हो गई। इसके कारण श्रमिकों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव भी पडा है।

– यूनियन के सामूहिक मांग पत्र पर प्रबन्धक कोई समझौता नही कर रहे है।

उपरोक्त तथा अन्य कारणों से संस्थान के प्रबन्धकों के विरूद्ध श्रमिकों में भारी रोष व असन्तोष व्याप्त है तथा स्थिति किसी भी क्षण विस्फोटक हो सकती है अतः जनाब से प्रार्थना है कि मामले में तुरन्त हस्तक्षेप किया जाए।

निवेदक

सतबीर सिंह

(सतबीर सिंह)
प्रधान

प्रतिलिपिः–

1. माननीय उपायुक्त महोदय, गुडगांव
2. माननीय श्रमायुक्त महोदय, हरियाणा, चण्डीगढ
3. माननीय अतिरिक्त श्रमायुक्त महोदय, हरियाणा भवन, नई दिल्ली
4. माननीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गुडगांव
5. माननीय उप श्रमायुक्त गुडगांव
6. माननीय श्रम तथा समझौता अधिकारी गुडगांव

सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु